Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 3, April-2021, ISSN 2230-7540

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियमः शिक्षा तथा सामाजिक वर्गों की प्रतिक्रियायें तथा उसके क्रियान्वयन में समस्यायें

Dr. Navinta Rani*

Associate Professor, GDM Institute of Education, Modi Nagar, Ghaziabad

***सार** – मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा प्रणाली ही है। आदिकाल से मनुष्य सीखता चला आ रहा है उसने जो सीखा उसे शिक्षा का रूप दिया। अतः शिक्षा मानव समाज की संचित सीख है जिसे वह परम्परा और परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करता है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का भाव लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की देन है।*

---------------------------------x---------------------------------

वर्ष 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सरकार के समक्ष समस्त भारतवासियों को शिक्षा उपलब्ध कराना प्रमुख चुनौती थी। संविधान की धारा 45 में देश के नागरिकों के लिये प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का संकल्प किया। लेकिन सामाजिक पिछड़ापन, धन की अल्पता, जनसंख्या वृद्धि, विश्वास एवं ईमानदारी की कमी जैसे अनेकों कारक समस्त नागरिकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधायें बने रहे। स्वतन्त्रता के छः दशक पश्चात बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना "बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के रूप में साकार हुआ।

इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार ने विगत दस वर्षों के अन्तर्गत अनेकों ठोस कदम उठाये लेकिन अभी तक भी शत-प्रतिशत शैक्षिक स्तर प्राप्त नहीं कर सके हैं। फलस्वरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति शिक्षा तथा समाज से सम्बन्धित वर्गों की प्रतिक्रियायें तथा उसके क्रियान्वयन में होने वाली समस्याओं को ज्ञात करके उनके निराकरण हेतु सुझाव देकर शोध विषय के रूप में प्रस्तुत शीर्षक का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये-

1. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के छात्र वर्ग की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें एवं क्रियान्वयन में समस्याओं को ज्ञात करना।

2. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर कार्यरत शिक्षक वर्ग की निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें एवं क्रियान्वयन में समस्याओं का अध्ययन करना।

3. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर के छात्रों के अभिभावकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें एवं क्रियान्वयन में समस्याओं का अध्ययन करना।

4. निम्न, मध्यम एवं उच्च आर्थिक स्तर पर कार्यरत व्यवसायिक वर्ग की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें एवं क्रियान्वयन में समस्याओं का अध्ययन करना।

5. वरिष्ठ नागरिक, राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवक जैसे विभिन्न स्तर के बुद्धिजीवी वर्ग की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें एवं क्रियान्वयन में समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या के रूप में गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में स्थित विद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों एवं छात्रों के अभिभावकों के अतिरिक्त मोदीनगर के व्यवसायिक एवं बुद्धिजीवी वर्गों के प्रत्येक वर्ग से 20-20 व्यक्तियों को लिया गया है। पुनः यादृच्छिक न्यादर्श विधि से माध्यमिक एवं उच्च महाविद्यालयों के 10-10 छात्रोंय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च महाविद्यालयों के क्रमशः 6, 6 एवं 8 शिक्षकों तथा इतने ही अभिभावकोंय निम्न, मध्य एवं उच्च आर्थिक स्तर के व्यवसायिक वर्ग के क्रमशः 6, 6 एवं 8 तथा वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवक एवं राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी वर्ग के क्रमशः 6, 6 एवं 8 व्यक्तियों का चयन किया गया है। शोध कार्य के लिये प्रश्नावली उपकरण का उपयोग किया गया है जिसे अध्ययनकर्ता ने स्वयं तैयार किया है। प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न लिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिये हाँ और नहीं दो विकल्प हैं। प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं विवेचन हेतु प्रतिशत विधि एवं चरिता विश्लेषण प्रविधि (ANOVA) आदि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पनायें तथा प्रदत्तों का विश्लेषण एवं विवेचन

शिक्षा तथा समाज से सम्बन्धित वर्गों के बनाये गये चार युगलों के व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु चार परिकल्पनाओं का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है कि वे अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार नही रखते हैं।

सारणी- 1

विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की निःशुल्क एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें।

युगल	वर्ग	चरिता के स्रोत	वर्गों का योग	आवृत्ति अंश	मध्यमान के वर्गों का योग	एफ (F) का मान	सार्थकता
प्रथम	शिक्षक–अभिभावक	मध्य चरिता	140.450	1	140.450	8.471	0.05 पर 4.15 0.01 पर 7.51 सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	630.040	38	16.580		
		योग	770.490	39	–		
द्वितीय	शिक्षक–व्यवसायिक	मध्य चरिता	201.124	1	201.124	8.873	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	861.346	38	22.667		
		योग	1062.470	39	–		
तृतीय	शिक्षक–बुद्धिजीवी	मध्य चरिता	289.995	1	289.995	10.439	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	1055.640	38	27.780		
		योग	1345.635	39	–		
चतुर्थ	शिक्षक–छात्र	मध्यचरिता	594.050	1	594.050	9.843	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	2293.414	38	60.353		
		योग	2887.464	39	–		

सारिणी -1 के अनुसार शिक्षक- अभिभावक वर्ग का परिगणित एफ का प्राप्त मान 8.471 शिक्षक-व्यवसायिक वर्ग का एफ का प्राप्त मान 8.873, शिक्षक-बुद्धिजीवी वर्ग का एफ का मान 10.439 एवं शिक्षक-छात्र वर्ग का एफ का 9.843 है जो कि उनके 0.05 सार्थकता स्तर पर सारिणीयान का मान क्रमशः 4.15 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर 7.51 से प्रत्येक का अधिक है तो प्रथम चारों परिकल्पनायें निरस्त होती हैं। अतः यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि शिक्षक-अभिभावक, शिक्षक-व्यवसायिक, शिक्षक-बुद्धिजीवी एवं शिक्षक-छात्र वर्गों के व्यक्ति निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं और अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

सारणी- 2

विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की निःशुल्क एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें।

युगल	वर्ग	चरिता के स्रोत	वर्गों का योग	आवृत्ति अंश	मध्यमान के वर्गों का योग	एफ (F) का मान	सार्थकता
पंचम	अभिभावक–व्यवसायिक	मध्य चरिता	204.800	1	204.800	9.333	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	833.872	38	21.944		
		योग	1038.672	39	–		
षष्ठम्	अभिभावक–बुद्धिजीवी	मध्य चरिता	781.250	1	781.250	10.160	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	2922.010	38	76.895		
		योग	3703.260	39	–		
सप्तम	अभिभावक–छात्र	मध्य चरिता	156.858	1	156.858	8.834	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	674.728	38	17.756		
		योग	831.586	39	–		

सारिणी-2 में वर्णित पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् तीन युगलों के व्यक्तियों से निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु तीन परिकल्पनाओं का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है कि वे सम्बन्धित अधिनियम के प्रति सकरात्मक विचार नहीं रखते हैं। परिगणना उपरान्त अभिभावक-व्यवसायिक वर्ग का एफ का प्राप्त मान 9.333, अभिभावक-बुद्धिजीवी वर्ग का एफ का प्राप्त मान 10.160 तथा अभिभावक-छात्र वर्ग का एफ का प्राप्त मान 8.834 है जबकि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर सारिणीयन मान प्रत्येक के प्राप्त एफ-मान से कम है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अभिभावक-व्यवसायिक, अभिभावक-बुद्धिजीवी तथा अभिभावक-छात्र वर्गों के व्यक्ति निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं और अधिनियम के प्रति सकरात्मक विचार रखते हैं। अतः पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम परिकल्पनायें निरस्त की जाती हैं।

सारणी- 3

विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की निःशुल्क एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियायें।

युगल	वर्ग	चरिता के स्रोत	वर्गों का योग	आवृत्ति अंश	मध्यमान के वर्गों का योग	एफ (F) का मान	सार्थकता
अष्टम	व्यवसायिक–बुद्धिजीवी	मध्य चरिता	186.050	1	186.050	10.142	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	697.110	38	18.345		
		योग	883.160	39	–		
नवम	व्यवसायिक–छात्र	मध्य चरिता	720.103	1	720.103	11.608	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	2357.330	38	62.035		
		योग	3077.433	39	–		
दशम	बुद्धिजीवी–छात्र	मध्य चरिता	938.050	1	938.050	12.460	सार्थक है
		आन्तरिक चरिता	2861.020	38	75.290		
		योग	3799.070	39	–		

अष्टम् युगल- व्यवसायिक एवं बुद्धिजीवी, नवम युगल- व्यवसायिक एवं छात्र तथा दशम युगल- बुद्धिजीवी एवं छात्र वर्गों के व्यक्तियों से निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु तीन परिकल्पनाओं का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है कि वे भी सम्बन्धित अधिनियम के प्रति न तो जागरूक और न ही सकारात्मक विचार रखते हैं। सारिणी - 3 से स्पष्ट है कि व्यवसायिक एवं बुद्धिजीवी वर्ग का एफ (F) मान 10.142, व्यवसायिक एवं छात्र वर्ग का एफ (F) मान 11.608 तथा बुद्धिजीवी एवं छात्र वर्ग का एफ (F) मान 12.460 है जबकि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर सारिणीयन मान क्रमशः 4.15 तथा 7.51 जोकि परिगणित एफ (F) मान से कम हैं। अतः इन तीनों युगलों में सार्थकता स्तर सार्थक पाया गया है। अतः अष्टम्, नवम्, दशम परिकल्पनायें भी निरस्त की जाती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि तीनों ही युगलों में व्यक्ति निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं अर्थात् अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रमुख समस्यायें-

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शत-प्रतिशत सुविधायें, शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत धारण एवं शत-प्रतिशत सफलता परम आवश्यक है। इस दिशा में विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करके समयबद्ध एवं सम्बन्धित प्रयासों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में तीव्र गति से कदम बढ़ाये गये हैं लेकिन वांछित लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्तमान में भी कुछ निम्नलिखित समस्यायें विद्यमान हैं जिनका निवारण अत्यन्त आवश्यक है।

1. बढ़ती हुयी जनसंख्या तथा विद्यालयों की संख्या का अनुपात दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

2. अधिकांश विद्यालयों में भवनों की जर्जरता तथा अध्यापकों की कमी नामांकन को प्रभावित कर रही है।

3. अधिकांश विद्यालयों में आधारिक सुविधाओं की कमी, विस्तृत एवं बौझिल पाठ्यक्रम शिक्षकों का छात्रों की उपस्थिति के प्रति प्रत्यनशील न होने के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बालकों का पुनः नामांकन एक बड़ी समस्या पायी गयी हैं।

4. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की मतदाता सूची पुनरीक्षण, जनगणना, टीकाकरण जैसे अनेकों कार्यक्रमों में ड्यूटी के कारण विद्यालयों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया है।

5. मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त अधिकांश विद्यालय पर्याप्त कक्षा-कक्षों, फर्नीचर, खेलने का सामान, शिक्षण-सामग्री, शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं से ग्रसित पाये गये हैं।

6. समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव पाया गया है।

7. प्रायः सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों का भी उचित उपयोग नहीं पाया गया है।

8. वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 35:1 पाया गया है जबकि शिक्षा का अधिकार कानून में छात्र-शिक्षक अनुपात 20:1 सुनिश्चित किया गया है।

9. कुछ स्थानों पर सामुदायिक सहभागिता का भी अभाव पाया गया है।

10. विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी है। समस्त विद्यालयों में न्यूनतम मानक लागू करने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

11. विद्यालय से दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले अध्यापक सामान्यतः विद्यालय में नियमित रूप से नहीं जाते हैं।

12. सरकारी, अनुदानित, विशेष श्रेणी एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कानून एवं पाठ्यक्रम समान न होने तथा विद्यालय की आधारिक संरचना में मूलभूत

www.ignited.in

समानता नहीं होने के कारण समाज में गरीब-अमीर की खाई समाप्त होने की अपेक्षा बढ़ती जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम के उचित क्रियान्वयन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में परिलब्धियाँ सन्तोषप्रद हैं तथापि उपरोक्त वर्णित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अभी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का और अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख, कुशल एवं गुणवत्तापरक बनाने के लिये सुधार सर्वथा अपेक्षित है। अतः बड़ी सावधानी, सजगता एवं ईमानदारी से क्रियान्वित करने की अपेक्षा के साथ निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं-

1. सर्वप्रथम तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या नियन्त्रण के लिये अनिवार्यतः एवं आवश्यक प्रयास की आवश्यकता है। एक किलोमीटर की परिधि एवं 300 बालकों की संख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिये।

2. राज्य सरकार का नियन्त्रण तन्त्र इतना सशक्त एवं प्रभावी होना चाहिये कि समस्त अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत समानता हो और वे सुचारू रूप से चले।

3. शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 सुनिश्चित करने के लिये योग्य शिक्षकों की नियुक्ति अधिक संख्या में किये जाने की आवश्यकता है।

4. शिक्षकों से गैर-शिक्षकीय कार्य लेना पूर्व रूप से बन्द किया जाना चाहिये।

5. सर्वत्र समान विद्यालयीय प्रणाली लागू की जानी चाहिये तथा सभी प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या समान करके बस्ते का बोझ कम करना चाहिये।

6. सेवारत शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण प्रविधि के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।

7. कत्र्तव्य निर्वाह न करने वाले शिक्षकों पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

8. जो अभिभावक 6-14 वर्ष की आयु के बालकों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, उनके लिये भी कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिये।

9. शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग किया जाये तथा आबंटित धनराशि की बन्दर बांट को रोका जाये।

10. शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क से विशेषकर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं मन्द बुद्धि बालकों के अभिभावकों को अपने बालक विद्यालय भेजने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

11. प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन रोकने के लिये शिक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

12. समस्त शासकीय एवं अनुदानित विद्यालयों के लिये भवनों एवं अधिसंरचना सम्बन्धी मानदण्डों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये।

पूर्वोक्त वर्णित समस्त समस्याओं के समाधान हेतु उपरोक्त सुझावों के परिपेक्ष्य में संक्षेप में कहा जा सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाये। सरकार अपने शिक्षा बजट में वृद्धि करके विभिन्न योजनाओं के लिये आबंटित धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करें तथा जन सहयोग को अपने नियन्त्रण में रखकर प्रोत्साहित करें। शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों और शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित की जाये। प्रस्तुत अध्ययन निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम की शत-प्रतिशत सफलता के प्रति छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के समक्ष निश्चयात्मक अनुक्रिया उपलब्ध कराता है। भविष्य में इस प्रकार के अध्ययन और अधिक विद्यालयों, अभिभावकों, समाज सेवकों तथा बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों की अधिक संख्या बढ़ाकर किये जा सकते हैं। अधिक सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से अध्ययन की स्पष्टता ओर भी अधिक निश्चित की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Aggarwal, Archana, (2001) "Study of No-Enrolment and Dropout among girls at primary level" Indian Journal of Educational Research, Vol. (2) pp. 19-24.

2. Chaudhary, Kameshwar, (2001), "State Policy Towards Educational Development of S.T. In India- The Human Rights Perspective", Journal of Educational

Planning and Administration, Vol. - 15, No. 1, pp. 69.

3. V. Panduranga, Satyanarayan Raju (2002) "A Study of Education Disparities In Achieving Universalization of Elementary Education A case study of Andhra Pradesh". C.C.S. University Meerut.

4. Verma, Mamta; Singh, B.B; Misha, B.N; Shukla, R.K. (1993), "A Study of Rural Elementary Education with Reference to social - cultural Deprivation", Indian Journal of Adult Education, Vol- 54 (2), pp. 37-40.

5. गिरि, एस0एन0डी0, (1999),''प्राथमिक शिक्षा का भविष्य', दिल्ली, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0।

6. उत्तर प्रदेश में विद्यालयीय शिक्षा-अवस्थिति, चुनौतियाँ एवं भावी संभावनायें, 2004, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

7. वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ- भारत 2018 एवं 2019, गवेष्णा, सन्दर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा संकलित, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

8. वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट- गाजियाबाद जनपद- 2018 एवं 2019।

9. शर्मा, आर0ए0 (2004), ''शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया'', आर0लाल बुक डिपो, मेरठ।

10. रानी, नवीनता (2012), ''प्राथमिक शिक्षा के सार्वभोमिकरण, उद्देश्य प्राप्ति के सन्दर्भ में मेरठ जनपद में सर्वशिक्षा अभियान का मूल्यांकन,'' शोध प्रबन्ध चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Corresponding Author

Dr. Navinta Rani*

Associate Professor, GDM Institute of Education, Modi Nagar, Ghaziabad